हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।
आदेश

संख्या टी.डी.सी/1/38/2016/डी.सी. I/ दिनांक:

श्री रामफल अत्री तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला हिसार (अब प्लेसमैन्ट अधिकारी हिसार) को सरकार के पत्र कमांक टी.डी.सी/1/38/2016/डी.सी. I/206 दिनांक 15.3.2016 द्वारा नियम 8 के अधीन आरोपित किया गया है जिसमें उन पर निम्न आरोप लगाये गये थे:

यह कि श्री रामफल अत्री ने निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार श्रीमती शिवानी शर्मा को दिनांक 2.11.2015 को भारमुक्त कर दिया और श्रीमती कृष्णा देवी को दिनांक 17.11.2015 तक भी भारमुक्त न करके अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही की है जिससे स्पष्ट होता कि उन द्वारा यह अनियमितता जानबूझ कर निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना की है और उन्होनें अपने संस्थान के पत्र कमांक 3959 दिनांक17.11.2015 द्वारा निदेशालय को गुमराह किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही की गई है।

श्री रामफल अत्री तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला हिसार अब राजौंद एट कैथल को दिनांक 30.08.2016 को निजी तौर पर सुना गया। निजी सुनवाई के दौरान उसने बताया कि नवम्बर के प्रथम सप्ताह में श्रीमति कृष्णा देवी, वर्ग अनुदेशक मैडिकल अवकाश पर चल रही थी। दिनांक 9.11.2015 व 10.11.2015 को श्रीमति कृष्णा देवी ड्यूटी पर आई तो उस समय श्रीमति शिवानी शर्मा अवकाश पर चल रही थी। जिस कारण दिनांक 13.11.2015 तक इनके चार्ज का निपटान नहीं हुआ तथा श्रीमति कृष्णा देवी, वर्ग अनुदेशक जब दिनांक 17.11.2015 को ड्यूटी पर उपस्थित हुई तो उसने न्यायालय के स्टैऑर्डर को वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया, श्री रामफल अत्री, प्रधानाचार्य ने इन आदेशों के बारे में दिनांक 17.11.2015 को श्री आर.पी.श्योकन्द, संयुक्त निदेशक प्रशासन से दूरभाष व लिखित मे कर्मचारी को भारमुक्त करने बारे मार्ग दर्शन मांगा तो उन्होनें भारमुक्त करने से मना कर दिया।

श्री रामफल अत्री, प्रधानाचार्य के नियम 8 के अधीन जारी आरोप-पत्र से सम्बन्धित मिसल में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने उपरान्त पाया गया कि श्री रामफल अत्री, प्रधानाचार्य ने निदेशालय के आदेशों की उल्लघना की है जिससे साबित होता है कि उसका संस्थान में किसी भी तरह का अनुशासन/प्रशासन नहीं है। श्रीमति कृष्णा देवी ने निदेशालय के आदेश दिनांक 29.10.2015 बारे माननीय न्यायालय मे याचिका दायर की थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2015 को स्टैऑर्डर दिए गए थे, यदि प्रधानाचार्य अपनी नियत ड्यूटी व निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की सही तरह से पालना करते तो सरकार/विभाग को अनावश्यक लिटीगेशनन का सामना नहीं करना पडता। अत: प्रधानाचार्य द्वारा निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने तथा सरकार/विभाग को अनावश्यक लिटीगेशनन होने के कारण मैं उस द्वारा की गई कोताहीं के लिए उसकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि बिना संचित प्रभाव के बन्द करने की सजा देने के आदेश पारित करता हूँ।

आर.आर.जांबल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

सेवा में

श्री रामफल अत्री, प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
राजौंद एट कैथल।

पृ0 कमांक टी.डी.सी. I/1/38/2016/दिनांक/9060-A दिनांक 29/9/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. सहायक निदेशक (प्रशासन-II)।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,राजौंद एट कैथल।
3. उप-निदेशक लेखा।
4. उप-अधीक्षक (ए.सी.आर)।
5. सहायक निदेशक (विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बारे)।

अधीक्षक (आई.टी)
कृते अपर मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,हरियाणा।